

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 09 /2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि. (अ)-- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. सं. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

- (i) क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)
"1.	निम्नलिखित शीर्षों अथवा उपशीर्षों अथवा टैरिफ मदों के अधीन आने वाले सभी माल - 0207 13 00, 0207 14 00, 0402 21 00, 0402 10, 0404 10 10, 0405 10 00, 0405 90, 0406 90 00, 0601, 0602, 0703 20 00, 0713 10, 0802 11 00, 0802 12 00, 0802 31 00, 0802 32 00, 0805 40 00, 0806 20, 0808 10 00, 0809 40 00, 0813 20 00, 0901 11, 0901 90 10, 1001 11 00, 1001 91 00, 1001 99 20, 1005 90, 1006, 1502, 1515 30 90, 1704 10 00, 1901 10, 2009 11 00, 2009 12 00, 2009 19 00, 2204, 2205, 2206 00 00, 2207 10, 2208, 2510 20, 2515 12 20, 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51, 3105 59 00, 3105 60 00, 3105 90, 3818, 4011 30 00, 5105 29 10, 5111, 5112, 5113, 5208 41, 5208 42, 5208 49, 5208 51, 5208 52, 5208 59, 5209 41, 5209 42 00, 5209 43, 5209 51, 5209 52, 5209 59, 5210 41, 5210 49, 5210 51, 5210 59, 5211 41, 5211 42 00, 5211 43, 5211 51, 5211 52, 5211 59, 5212 15 00, 5212 24 00, 5212 25 00, 5407 10, 5407 41, 5407 42, 5407 43 00, 5407 44, 5407 51, 5407 52, 5407 53 00, 5407 54, 5407 69 00, 5407 71, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81, 5407 82, 5407 83 00, 5407 84, 5407 91, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, 5408 22, 5408 23 00, 5408 24, 5408 31, 5408 32, 5408 33 00, 5408 34, 5511 10 00, 5511 20 00, 5511 30, 5512 19, 5512 29, 5512 99, 5513 21 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14, 5516 24 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 93 00, 5516 94 00, 5702 32, 5702 42, 5702 92, 5703 20, 5703 30, 5704 20, 5704 90, 5801, 5802 19, 5804, 5810 10 00, 6001 92 00, 6101 20 00, 6101 30, 6102 10 00, 6102 20 00, 6102 30, 6104 19 (ऊन या सूक्ष्म पशु बाल या सूत के सिवाय), 6104 41

00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6104 49, 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 6104 59, 6104 62 00, 6104 63 00, 6105, 6106, 6107 11 00, 6107 12, 6108 21 00, 6108 22, 6108 91 00, 6108 92, 6109, 6110, 6201 11 00, 6201 12, 6201 13, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, 6202 11, 6202 12 00, 6202 13 00, 6202 91, 6202 92, 6202 93, 6203, 6204 11 00, 6204 13 00, 6204 19, 6204 31, 6204 32 00, 6204 33 00, 6204 39, 6204 41, 6204 42, 6204 43, 6204 44 00, 6204 49, 6204 51 00, 6204 61, 6204 62, 6204 69, 6205, 6206 20 00, 6206 30, 6206 40 00, 6207 11 00, 6207 19, 6207 99 (मानव निर्मित फाइबर के माल के सिवाय), 6208 11 00, 6208 19, 6208 91, 6208 92, 6210 20, 6210 30, 6210 40, 6210 50 00, 6211 32 00, 6211 33 00, 6211 42, 6211 43 00, 6212, 6214 10, 6214 20, 6214 90, 6215, 6301 20 00, 6302 21 00, 6302 31 00, 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 91 00, 6802 92 00 1”;
--

(ii) क्रम सं. 9 से 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(iii) क्रम सं. 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)
“53.	शीर्ष 8702 और 8704 के अधीन आने वाले सभी वाणिज्यिक यान (इलैक्ट्रिक यान सहित), यदि पूर्ण रूप से निर्माण इकाई (सीबीयूएस) के रूप में आयात किया गया है।”।

[फा. सं. 334/2/2020-टी.आर.यू.]

(गौरव सिंह)

उपसचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 114(अ) तारीख 2 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थी और अधिसूचना सं. 39/2019-सीमाशुल्क, तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.967(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई ।